

• कापिल यात्रा •

अद्वितीय लकानीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली काम्पसी जागरूकता विभाग, नई दिल्ली द्वारा बैंकिंग चल 2021-22 हेतु डिजीमा कर्तीय लकानीकी शिक्षा संस्था को अनुमति दिया गया। इसके लिए लकानीकी शिक्षा काम्पसी और उपर्युक्त संस्थानों के बीच अधिकारीय समझौता आयोजित किया गया है। इसके लिए लकानीकी शिक्षा काम्पसी और उपर्युक्त संस्थानों के बीच अधिकारीय समझौता आयोजित किया गया है।

संवद्धता समिति लोकेश्वर में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में निम्न संस्थाओं द्वारा विविध विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश लोकवकास द्वारा संख्या १३३१-१३ हेतु निर्णयित तारीख के बायोन प्रक्रियन एवं उसकी अधिक प्रक्रिया क्रमसंकलन विभाग प्रदान की जाती है।

संस्था का कोड एवं नाम : 1688-GREATER NOIDA COLLEGE, PLOT NO-6 B, KNOWLEDGE PARK-2, GREATER NOIDA, GAUTAMBUDDH NAGAR (OLD NAME- GREATER NOIDA POLYTECHNIC COLLEGE, PLOT NO-6 B, KNOWLEDGE PARK-2, GREATER NOIDA, GAUTAMBUDDH NAGAR)

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए-आईटीसीटीएटी पीएचडी आईटी द्वारा तभ 2021-22 हेतु अनुमोदित परिषद द्वारा तभ 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रते	
		प्रयोग समय	प्रमाण
1	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
2	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

卷之三

दिनांक: 09/08/2021

पृष्ठ संख्या- प्राचीप्रारंभ समवद्धता। 2021। 3536-4809.

प्राप्तिक्रिया-

प्रधानाद्यामर्त्तनदेश क. GREATER NOIDA COLLEGE, PLOT NO-6 B, KNOWLEDGE PARK-2, GREATER NOIDA, GAUTAMBUDDH NAGAR (OLD NAME- GREATER NOIDA POLYTECHNIC COLLEGE, PLOT NO-6 B, KNOWLEDGE PARK-2, GREATER NOIDA, GAUTAMBUDDH NAGAR)


(सुनील कुमार सोनकर)

संचित

**कार्यसिद्धि
सचिव, प्रानिप्रिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राणिप्रिक परिषद सम्बन्धीय/2020/1971

लाभग्रन्थक: दिनांक: 15-9-2020

-कार्यसिद्धि द्वारा-

अधिकारीय गार्हणीय संकलनकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/गार्हणीय कार्यसिद्धि औफ इम्प्रिया नई दिल्ली द्वारा शीक्षक सत्र 2020-21 हेतु शिक्षणीय संवादों की शिक्षण सम्बन्धीय को अनुमोदन प्रदान किए जाने के दारांत प्रानिप्रिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के सम्बन्धीय/सम्बद्धता/नियन्त्रण प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को जन्मता, प्रानिप्रिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता ने परिषद गार्हणीय में बैठक लेपन किए। बैठक ने समिति द्वारा सत्र शप्ता-21 हेतु अप्रैलिल नई संवादों को सम्बन्धीय/पूर्व रो संबालित संवादों को सम्बद्धता वित्तार/पाठ्यक्रम/प्रयोग सम्भावना वृद्धि सहित अन्य मर्दी गर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बन्धीय प्रदान किये जाने का नियम लिया गया।

उपर के अनुक्रम में सम्बन्धीय समिति की बैठक के मद-16 में हिस्ताम-इन्डीया द्वारा प्राठ्यक्रम संबालित करने वाली पूर्व रो सम्बद्ध संवादों का प्रकरण रखा गया। सम्बन्धीय समिति द्वारा गहन विचार-प्रियंका का नियमानुसार लिया गया।

परिषद से पूर्व रो सम्बद्ध नियमी क्षेत्र की संस्था जिसके द्वारा सत्र 2020-21 हेतु संस्था में संबालित पूर्व पाठ्यक्रमों में कठिनय पाठ्यक्रमों को प्रवेश करना में बड़ी दिक्षा किये जाने एवं एक अतिरिक्त पाठ्यक्रम को संबालित किये जाने का अनुरोध किया गया है, के संबंध में समिति द्वारा वित्तार-प्रियंका किया गया एवं सत्र-2020-21 हेतु ए०जाइ०सी०टी०इ० हुआ प्रवत्त अनुमोदन के अनुक्रमों में सत्र 2020-21 हेतु परिषद रो सम्बन्धीय प्रदान किये जाने का नियम लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को आद्यते सम्बन्धीय समिति की बैठक ने सिये गये उपलेख नियम के अनुक्रम में नियम संस्था के प्रानिप्रिक शिक्षा परिषद उपरोक्त द्वारा सत्र 2020-21 हेतु नियमानुसार गती के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अकिञ्चित प्रवेश करना हेतु सम्बन्धीय वित्तार प्रदान की जाती है:-

क्रम संख्या	संख्या का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०जाइ०सी०टी०इ०/हुआ वित्तार 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश करना	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश करना
1	1188	पृष्ठा नीरा पाठीटीवित्तार, छाता नीरा, नीरा भू-१ उपरोक्त नीरा गांवमध्यनगद।	ए०जाइ०सी०टी०इ० हुआ वित्तार साइरस ए०५ इमी० इनियिकल इमी० बैटो० मैक्रिप्ट इमी० बौलो० सिलिक इमी०	१० १० १० १० १० १०

सम्बन्धीय हेतु शारीर

- ✓ संस्था ए०जाइ०सी०टी०इ० हुआ वित्तार की गाँवी शारीर का परीक्ष प्राप्त करना चाहिये।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रानिप्रिक शिक्षा वित्तार एक 1982 तथा प्रानिप्रिक शिक्षा परिषद वित्तारमध्याली 1992 सेमेस्टर वित्तारमध्याली-2016 कथा अन्य नियमित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करनी हो तब युवक वित्तारन समिति द्वारा नियमानुसार युवक गाँवी शारीर पाठ्यक्रमों हेतु लो 30,150.00/- अंतर्वर्षीय दो अंतर्वर्षीय पाठ्यक्रम (दो वार्षीय कार्यवाची पाठ्यक्रम के अंतर्वर्षीय) हेतु लो- 45,000.00/- अंतर्वर्षीय एक तथा दो वार्षीय पाठ्यक्रमों (दो वार्षीय कार्यवाची पाठ्यक्रम के अंतर्वर्षीय) हेतु लो- 22,500.00 प्रतिवार्ष युवक हो प्रवक्त तात्र/छाता रो गाँवा किया जायेगा। उपरोक्त के अंतर्वर्षीय उपरोक्त गाँवों वा युवक के सामग्री में समय-समय पर शासन द्वारा नियमित किये जाने वाले शालमारदश प्रभावी होग, और नानासुर कार्यवाची वित्ता जाना कामाश्वक होगा। फीस नियमित वित्ता यदि सत्र 2020-21 हेतु कीप का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो कीप की नदीनदेश दरें जान दोगी।
- ✓ संख्या को (उत्तर प्रानिप्रिक शिक्षा समितियां तथा उप अभियानों संख्याओं को सम्बन्धीय किया जाना) वित्तारमध्याली-2000 ली रहती रह अनुपालन करना चाहिया।
- ✓ संख्या में संघर्ष प्रदेश परिषद परिषद द्वारा आवादित छात्रों को दी देश दिया जायेगा। छात्रों के विषय सह जाने की विधि में उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार ही प्रदेश की कार्यवाची जीव जारी।
- ✓ संख्या जो समय-समय पर नियमित शासनादेशों के अनुसार नियमित एवं लाभदाता बुला जाए करना चाहिया।
- ✓ संख्या को ए०जाइ०सी०टी०इ०/पी०सी०आ०इ० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना कामाश्वक होगा।

- ✓ तस्वा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये नियम/नियमों/विधिनियमों/शासनालिंगों/निर्देशों एवं नियंत्रक प्राविधिक नियम, उद्धृत अधिनियमों/नियमों/विनियोगी आदेशों नियंत्रणों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिलीमा इन पार्मीसी घटाएकम की संस्थाएं यहि भी सीखतुँ नहीं दिल्ली की जानुमालन प्राप्त करने में उत्तमता रखती है। ऐसे इस नाइट में रामरात उत्तरप्रदेश रास्ता का डागा और विधिक लप्त वा किलो भी कार्यकारी में लिए संस्था बहव उत्तरवायी होती। प्राविधिक नियम नारेवद, रामुष्ट प्रबाहा परिषद् प्राविधिक नियम नियंत्रणलय एवं प्राविधिक नियम विनाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बद धायर किया जाता है। ऐसे दायर वर्त के लक्ष्य में ज्ञानगत द्वारा किलो प्रबाह या प्रतिपूर्ति रामायी आदेश नियंत्र किया जाता है तो रामरात प्रतिपूर्ति रामायी संस्था को कर्त्ता होती होगी।
- ✓ डिलीमा इन पार्मीसी घटाएकम संचालित करने वाली संस्थाओं को नायकत प्रबाह परिषद् प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तरप्रदेश की एं लिए डामीनिंग प्रबाह उत्तर कार्यालयलिंग प्राप्त करने के लिए विधिवाचारी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यालय को उत्तरप्रदेश बनाया होता अन्यथा उन्हें प्रबाह यी (कार्यालयलिंग के गान्धीय से अत्यवा संस्था रत्तर पर रीये प्राप्त) अनुमति नहीं दिया जायेगा।
- ✓ उत्तर प्रदेश उत्तरान द्वारा प्रयोग होने विधि नहीं नामालम आवश्यक नियमों को जानुमालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ रास्ता जो अपने बैठकहट पर संस्था की भाली लूचनार येरो संस्था की प्राविधिक प्रमित्तमि रुक्फ साज-साज्जा, उपकरण, प्राया किया जाने जाला गुल्क, छोतासाता शुल्क आदि एवं विध्युण उपकरण बनाना होगा।
- ✓ संस्था को नियम-विधिकण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपकरण करने ले जाए तो उन्हें एवं उन्हें जानने के सम्बन्ध में गारस्ता जावरणक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह शिविरिया द्वे ले कि तस्वा में प्रस्तावित/कल्पालित जालाकम को बदलना जाने हेतु निरीक्षण समिति द्वी हावा उपकरण करने गये अभिलेख भूमि-गणन, फैनीर, उत्तरप्रदेश विध्युण इवं यदि संस्था द्वारा किसी अन्य घटाएकम की नामालन में इयोग किया जाता है और परिषद् यो इसकी जानायाए होती है कि तस्वा उत्तरालय का प्राप्ति किसी अन्य जर्म के लिए कर रही है तो उत्तरालय तस्वा की जन्मदत्तत ज्ञापन किये जाने की जन्मदत्तत में नियमानुसार अनुष्टुप्सामालमक कार्यालयी ही जानी।

मानेन्द्र बुमार (कर्नीजिया)
सचिव/कृति वासिन

पुस्तं- प्राविधि/परिषद् रामाया /2020/ 1972-3141

तिवारिका: 15-09-2020

प्रतिविपि-प्रायानायाम/नियंत्रक, दंटर नोएस पार्मीतिक्का, लाट जाम्बवी, नौरेज पार्क-2 दंटर नीला, गुजरात

(मानेन्द्र बुमार (कर्नीजिया))
सचिव/कृति वासिन

कार्यालय,
संचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या— प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ: दिनांक: 15-6-2019

—कार्यालय ज्ञाप—

अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शीक्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरात प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अधीक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ की अव्यक्तता में परिषद कार्यालय से बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आदेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/यूर्ज से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रबोध बमता दृष्टि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्द-2 में डिप्लोमा इन इंजीन जात्यकम संचालित करने याती पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रकरण सुलगा। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नान्त निर्णय लिया गया—

”सलानक-1 में अकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से सलानक-1 में अकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।”

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नानुसार शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अकित प्रोश्न क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है—

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०इ०/ पी०सी०आ०इ० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रबोध बमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रबोध बमता
1	1888	पैटर नीएस पाइपिंग्स गोलगा, लाट. ३०-८ बी. नीलगंगा पार्क-२, पैटर नीएस, गोलगुद्दनार	मैकेनिकल इंजीन -प्र०८ मैकेनिकल इंजीन-अ०१०० इलेक्ट्रिकल इंजीन प्र०१००	८० ६० ८० ८०	५० ३० ८० ००

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०इ० द्वारा निर्धारित यो गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एकट १८६२ तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकाली १९९२ तथा अन्य नियमित नियमों द्वारा अनुमानित कर्तृतों तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीन पाठ्यक्रमों हेतु ल० ३०,१५०.००/- अतिकर्व, दो वर्षीय कार्यसी यात्र्यक्रम हेतु ल० ४५,०००.००/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ल० २२,५००.०० प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा जो प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अवृ/चाच्चाओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सारान्न द्वारा निर्णय लिये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, जीर्ण तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि तत्र 2019-20 हेतु छीस का पुनर्निघारण किया जाए, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उन समितियों संस्थाओं को सम्बद्ध शिक्षा जामा) विनियमकाली-२००० की शर्तों का अनुपालग्न रखना होगा।
- ✓ संस्था ने संयुक्त प्रबोध परीक्षा परिषद द्वारा आवित्रित छात्रों को ही प्रबोध दिया जायेगा। सीटों के रिक्त तक जाने की विविधि ने इत्तम प्रदेश शासन के मिर्दीशामुख्य ही प्रदेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था का समय-समय पर निर्णय जालनादेश की अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जन्म करना द्वारा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०इ० से आगामी सत्र उत्तु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

- ✓ सत्त्वा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/नियंत्रण एवं निदेशक प्राविधिक विका उठाप० सभुका प्रवेश परीक्षा परिषद् उठप० तथा प्राविधिक विका परिषद् उठप० द्वारा बनाये गये नियमों, नियन्त्रणों, आदेशों, नियंत्रणों जा यालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ हिमालय इन फारमसी पाठ्यक्रम की सहायते परिवर्ती की अनुमोदन प्राप्त करने में अताकल रहती है तो इस संबंध में समर्त उत्तराखण्ड सत्त्वा का होगा और विधिक रूप से जिसी भी वार्तायाही के लिए सत्त्वा स्थाय उत्तराखण्ड होगी। प्राविधिक विका परिषद् सभुका प्रवेश परीक्षा परिषद् प्राविधिक विका नियंत्रण एवं प्राविधिक विका परिषद् उत्तर प्रदेश शासन को कोई बाद दायर विधा जाता है तथा दायर बाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रवार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्माण किया जाता है तो समर्त प्रतिपूर्ति संबंधी संवधान को करनी होगी।
- ✓ हिमालय इन फारमसी पाठ्यक्रम संवालित करने वाली सत्त्वाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड द्वारा प्रत्येक चर्चे के लिए जायोजित प्रत्येक परीक्षा ठेतु कारभिलिंग प्राप्त होने के पूर्व गोप्तीजाप्राप्ति से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश का (कारभिलिंग के माध्यम से जब्ता सत्त्वा स्वरूप पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान हो जायेगा।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु नियंत्रणीय नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ सत्त्वा को अपने वैद्यताइट पर सत्त्वा की समर्त सूचनाएँ जैसे सत्त्वा की ऐतिहासिक गृहिणी, रुदार, गोल-गोल, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, भावावाला शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ सत्त्वा को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शिक्षण रोजने के समन्वय में समर्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ सत्त्वा यह सुनिश्चित हो जे कि सत्त्वा में प्रत्यावित/संचालित पाठ्यक्रम को घलाये जाने हेतु शिक्षण समिति के समझ उपलब्ध कराये गये अधिकार, गृही-भवन, जनीवार, उपकरण इत्यादि ज्ञा यादि सत्त्वा द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के समालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि सत्त्वा उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो हात्याल सत्त्वा की सम्बद्धता समाप्त किये जाने वाली अनुशासनाभाव कार्यालय की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्ती का अनुशासन न किये जाने प्रधान शर्ती का उत्तराधिन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनाभाव कार्यालय की जायेगी।

(राजीव शुभार सिंह)
सचिव

प०स०- प्रारिषद्/परिषद् सम्बद्धता/2019/1133-2252

तद दिनांक: 15-5-2019

प्रतिलिपि-प्रधानाधार्य/निदेशक, गोटर नोएडा यालीटेक्निक कालेज, ब्लाट नं० ६ वी, नोएज पार्क-२, गोटर नोएडा, गोतमधुद्वारा।

(राजीव शुभार सिंह)
सचिव